

## Reform 2015-16

1. Reform no.-8(b)
2. Reform Nomenclature :- Improvement in levy and collection of user charges
3. Reform Mile Stone no.:- 38
4. Milestone Nomenclature:-At least 90% billing.
5. Authority responsible for achieving the milestone:-Office of ADULB/AO/Urban Local Body -----Municipal Council Palwal
6. Status:- Achieved/Not achieved *Achieved*

A) In case not achieved

a) Person responsible to ensure achieving the milestone

b) Time line when the mile stone will be achieved

7. If achieved Documents attached as Proof

i) Certificate from the competent authority of each ULB intimating that 90% of billing is being done regularly for the user charges.

Authorized officer of ULB- -----Municipal Engineer



Executive Officer  
Municipal Council  
PALWAL


# Office of Municipal Council, Palwal

Near Committee Chowk, Palwal

Email:- secumc.palwal@amail.com. secumc.palwal@hru.nic.in



प्रमाणित किया जाता है कि नगर परिषद पलवल में सीमाक्षेत्र में पानी व सीवर का कार्य में जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, पलवल द्वारा किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, पलवल के साथ विचार विर्मश के दौरान उन द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा सभी पानी व सीवर के बिल उनके विभाग की बेवसाईट पर आनलाईन जनरेट किये जाते हैं। जिसका उपभोगता द्वारा आनलाईन ही भुगतान किया जाता है। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 प्रतिशत पानी व सीवर के बिल जनरेट किये जाते हैं तथा 90 प्रतिशत बिलों का भुगतान आनलाईन के माध्यम से उपभोगताओं द्वारा समय पर कर दिया जाता है।

  
कार्यकारी अधिकारी,  
नगर परिषद पलवल।